**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3321 का उत्तर**

**रेलवे द्वारा संचलित कंटेनर कार्गो**

**3321. श्री भुवनेश्वर कालिताः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा संचलित कंटेनर कार्गो का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा संचलित व्यवसाय सड़क मार्ग द्वारा संचलित कार्गो की तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे कंटेनर के माध्यम से प्रभार सड़क मार्ग द्वारा प्रभारों से काफी ज्यादा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार प्रभार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसकी समीक्षा करेगी?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

रेलवे द्वारा संचलित कंटेनर कार्गो के संबंध में दिनांक 23.03.2018 को राज्‍य सभा में श्री भुवनेश्वर कालिता के अतारांकित प्रश्‍न सं. 3321 के भाग (क) से (ङ) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा संभाले जाने वाले कंटेनर कार्गो का विवरण, मिलियन टन (एमटी) में निम्नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | घरेलू यातायात (एमटी में) | एक्जिम ट्रैफिक (एमटी में) | कुल (एमटी में) |
| 2014-15 | 10.50 | 38.34 | 48.84 |
| 2015-16 | 9.06 | 37.13 | 46.19 |
| 2016-17 | 9.68 | 37.81 | 47.49 |

(ख) और (ग): परिवहन के अन्य साधनों से मुख्य रूप से सड़क यातायात से प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए उसकी रेल यातायात के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। साधारणतः कम दूरी के यातायात के लिए, सड़क परिवहन को प्राथमिकता दी जाती है जबकि, लंबी दूरी और थोक यातायात के लिए रेल यातायात को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) और (ङ): वर्तमान में, रेल द्वारा परिवहन किए गए कंटेनर के प्रभार का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:

(i) अधिसूचित पण्यों को कंटेनर श्रेणी दर (सीसीआर) पर प्रभारित किया जाता है जो सामान्य दर से 15% ऋणात्मक है।

(ii) एफएके (सभी तरह का मालभाड़ा) में कंटेनर का ढुलाई प्रभार। यह दर सामान्य माल यातायात के ब्रेक इवन श्रेणी अर्थात् श्रेणी-100 से लगभग 30% सस्ता है। इसके अलावा, व्यस्त मौसम प्रभार, जो कि वर्ष में नौ महीने के लिए सभी पण्यों पर 15% की दर पर लगाया जाता है, इन वर्षों में इनपुट लागत में वृद्धि के बावजूद 01.03.2015 के बाद से वसूल नहीं किया गया है।

रेल द्वारा संचालित कंटेनर यातायात की मालभाड़ा दरें सड़क परिवहन के साथ तुलनीय नहीं हैं क्योंकि दरों के निर्धारण के लिए भिन्न सिद्धांतों को अपनाया जाता है।

\*\*\*\*\*